

आदेश - 110

| आदेश की तिथि | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर  | आदेश पर कार्यवाही दिनांक आदेश |
|--------------|---|-------------------------------|
| 14/10/2020   | <p>अभिलेख उपस्थापित,</p> <p>मूल पंजी II / जमाबंदी पंजी एवं खतियान का अवलोकन किया गया। खाता सं० 39 खतियान के अनुसार गैरमजरुआ खास भूमि है। नियमानुसार इस भूमि के बंदोबस्ती के उपरांत लगान निर्धारण होने के बाद इसे बंदोबस्ती प्राप्त रैयत के नाम के साथ पंजी II में अंकित किया जाना था परन्तु मौजा <u>खुर्जा</u> की खाता सं० 39 की गैरमजरुआ खास भूमि को पंजी II के भोल्युम सं० <u>I</u> के पृष्ठ सं० <u>41</u> में केवल बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) के नाम से अंकित कर दिया गया है। इसे अवैध/संदिग्ध जमाबंदी नहीं माना जा सकता है।</p> <p>अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत मौजा <u>खुर्जा</u> के पंजी II के भोल्युम सं० <u>I</u> के पृष्ठ सं० <u>39</u> पर बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) के नाम से कायम जमाबंदी को अवैध/संदिग्ध जमाबंदी नहीं मानते हुए भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4h के तहत प्रारंभ की गई इस वाद की कार्यवाही बंद की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"><br/>अंचल अधिकारी<br/>तोरपा।</p> |                               |

जमाबंदी वाद सं० :- 110

प्रश्नगत भूमि मौजा ..... उरबी ..... खाता सं० ..... 39 ..... प्लॉट सं० ..... 245 .....  
रकबा ..... 7.69 ..... से संबंधित है। यह भूमि आर०एस० खतियान में गैरमजरूआ खास भूमि  
तथा पंजी II के भोल्युम सं० ..... 41 ..... में बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार)  
के नाम दर्ज पाया गया। झारखण्ड सरकार की उक्त भूमि को अवैध नहीं माना जा सकता है। अतः 4h की  
कार्रवाही समाप्त की जा सकती है।

  
राजस्व कर्मचारी

  
अंचल निरीक्षक